प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2023

विषयः- जनपद गोरखपुर में वी0वी0पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अनुवर्ती किश्त/अंतिम किश्त की धनराशि के व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-48/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017, दिनांक-06.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्वाचन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या-04/2019/486/61-2019-67/3-2017(नि0-3), दिनांक-07.08.2019, शासनादेश संख्या-08/2021/353/61-2021-283/2015, दिनांक-04.06.2021 तथा शासनादेश संख्या-02/2022/228/61-2021-283/2015, दिनांक-28.03.2022 के क्रम में जनपद गोरखपुर में वी0वी0पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष अंतिम किश्त की सम्पूर्ण धनराशि रू0-23,79,000/-(रूपये तेईस लाख उन्यासी हजार) की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के प्रस्तर-2(2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-04/2019/486/61-2019-67/3-2017(नि0-3), दिनांक-07.08.2019, शासनादेश संख्या-08/2021/353/61-2021-283/2015, दिनांक-04.06.2021 तथा शासनादेश संख्या-02/2022/228/61-2021-283/2015, दिनांक-28.03.2022 के अनुक्रम में जनपद गोरखपुर में वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष अंतिम किश्त की सम्पूर्ण धनराशि रू० 23,79,000/- (रू० तेईस लाख उन्यासी हजार) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 एवं निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-04/2019/486/61-2019-67/3-2017(नि0-3), दिनांक-07.08.2019, शासनादेश संख्या-08/2021/353/61-2021-283/2015, दिनांक-04.06.2021 तथा शासनादेश संख्या-02/2022/228/61-2021-283/2015, दिनांक-28.03.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। स्वीकृत कार्यों से इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू० 23,79,000/-(रू० तेईस लाख उन्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 041 लेखा शीर्षक 4059010510400 ई0वी0एम0/वी0वी0 पैट भण्डारण के लिये गोदाम निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-04/2023/001-04-175(1)-61-2023-GORAKHPUR, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, गोरखपुर । (द्वारा स्पीड-पोस्ट)
(7) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3 ।
(8) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(मोहन लाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।